राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27( )/ग्राविवि – 5/पीएमएवाई/ASO/लक्ष्य/2016–17 जयपुर, दि 25 जुलाई, 2016

::बैठक कार्यवाही विवरण::

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के दिशा निर्देशानुसार इच्छुक लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त वित्तीय सहायता की उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंको/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से राशि रू. 70,000/– तक का ऋण उपलब्ध कराने के सम्बंध में दिनांक 18.07.2016 को शासन सचिव महोदय, ग्रावि की अध्यक्षता में नाबार्ड एवं हडको के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. बैठक में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ऋण सीधे लाभार्थियों को नही दिया जाता है, नाबार्ड द्वारा ऋण बैंको/वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है। उक्त वित्तीय संस्थाए लाभार्थी को ऋण उपलब्ध करा सकती है।
2. बैठक में हडको के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि हडको द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूति पर ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं शहरी क्षेत्रो में संचालित मुख्यमंत्री जन आवास योजना की तर्ज पर यदि विशेष परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों हेतु बनाई जावे, तो विशेष परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

बैठक में चर्चा उपरान्त शासन सचिव महोदय, ग्रावि द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

1. नाबार्ड द्वारा दिये गये प्रस्ताव के सम्बंध में लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उक्त बिन्दु को स्टेट लेवल बैकर्स (SLBC) की आगामी बैठक के एजेण्डा में शामिल कराने के निर्देश दिये गये।
2. हडको द्वारा दिये प्रस्ताव के सम्बंध में ग्रामीण क्षेत्रों में वन क्षेत्र में निवास करने वाले एवं भूमिहीन पात्र परिवारों की समीक्षा कर, जिलों से प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिये जावे।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एंव पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. सयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जयपुर।
6. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, हडको भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
7. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)